

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

अम्बालाल बनाम राजनाशयण

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 243/2022

2022/320

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

25/5/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती अम्बालाल

पिता श्री शम्भू जी भीम

निवासी- पाटनिघा

तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

सावा स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 1573, 1574

1576, 1578, 1579, 1580

कुल कीता 6 कुल रकबा 2.5200 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम सावा स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 1573, 1574, 1576, 1578, 1579, 1580

कुल कीता 6 रकबा 2.5200 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1500-00 रुपये अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(श्याम सुन्दर बिगने)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)